राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ 22(90)परि/प्रवर्तन/मा.अ.आ/पार्ट/2015/12024 जयपुर, दिनांक 30.06.2015

## कार्यालय आदेश ...20......../2015

मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक एस. ओ. 1248 (ई) दिनांक 05.11.2004 अनुसार "एम्बुलेंस यान" को परिवहन यान श्रेणी में रखा गया है, जबकि एम्बुलेंस यान को मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अन्तर्गत परमिट अनिवार्यता एवं राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के अन्तर्गत करदेयता से मुक्त रखा गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त यान श्रेणी को व्यवसायिक श्रेणी में नहीं माना जाकर सामाजिक सेवा यान माना गया है।

अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के संज्ञान में यह लाया गया है कि राज्य के विभिन्न राजकीय/निजी चिकित्सालयों में अनेक एम्बुलेंस यान व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपलब्ध रहते है तथा इनके द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों से मनमाना किराया वसूल किया जा रहा है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 67 (1) की अपेक्षानुसार स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रेक्ट कैरिज एवं भार वाहनों के किराया की अधिकतम दरों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है एवं उपरोक्त तीनों ही श्रेणियों से एम्बुलेंस यान भिन्न होने के कारण इन यानों का किराया निर्धारण राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त संबंध में निर्देशित किया जाता है कि एम्बुलेंस यानों के किराये की दरों पर नियंत्रण के प्रयोजनार्थ जिला कलक्टर के माध्यम से अथवा यातायात प्रबंधन समिति/यातायात नियंत्रंण बोर्ड के माध्यम से आपके क्षेत्राधीन संचालित होने वाले एम्बुलेंस यानों द्वारा वसूले जाने वाले अधिकतम किराया दरों का निर्धारण करें तथा एक कार्ययोजना निर्माण कर निर्धारित किराया ही वसूल किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही निर्धारित किराये से अधिक किराया लेने वाले वाहन संचालको के विरूद्ध नियमानुकूल सख्त कार्यवाही की जाएं ताकि जनमानस को मनमाने किराये वसूले जाने से राहत मिल सके।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

(गायत्री राठौड)
परिवहन आयुक्त
एवं शासन सचिव

प्रतिलिपिः–

क्रमांकः एफ 22(90)परि/प्रवर्तन/मा.अ.आ/पार्ट/2015/12025-12030 जयपुर, दिनांक 30.06.2015

1. निजी सहायक, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. अपर परिवहन आयुक्त (जोन) ..........(समस्त)।
4. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी ..... ....(समस्त)।
5. श्री संजय सिंघल, ए.सी.पी. को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)